28

# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

**(पंचायत) निगरानी संख्या 13 / 20** **वर्ष 2020**

**जीसीएम संख्या :–2020 / 00106**

बउनवानी:– 1. धोली बेवा राधेश्याम मीना, निवासी रहीथा कलां ग्राम पंचायत बाडोलास

बनाम

1. सुलोचना पत्नी सुरेशचन्द जाति मीना निवासी रहीथा कलां तहसील स0मा0
2. ग्राम पंचायत बाडोलास जरिये सरपंच,ग्रा.प.बाडोलास तह0 व जिला स0मा0

( निगरानी विरूद्व बुक संख्या 08 पटटा संख्या दिनांक 03.09.2019 द्वारा ग्राम पंचायत बाडोलास पंचायत समिति सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थितः–1. श्री रिषीराम मीना — वकील प्रार्थी

2. श्री मगन लाल मीना — वकील अप्रार्थी–1

**–: निर्णय :–** **दिनांक 28.12.2021**

निगरानीकार द्वारा यह निगरानी सरपंच ग्राम पंचायत बाडोलास के द्वारा बुक संख्या 08 मे जारी पटटा संख्या 10 दिनांक 03.09.2019 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित पटटा अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्वान वकील निगरानीकार ने दौराने सुनवायी कथन किया कि आदेश जैर निगरानी खिलाफ कानून व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बाडोलास द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पटटा वितरण अभियान में विपक्षी संख्या 1 के हक में दिनांक 3.9.2019 को बुक संख्या 8 पटटा संख्या 10 कतई गलत जारी किया गया है क्योकि ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूखण्ड का पटटा जारी किया है उसपर आज भी प्रार्थीया का कब्जा है जो प्रार्थीया के पति राधेश्याम जी के पिता के जीवनकाल से ही निर्बाध रूप से चला आ रहा है इस पटटे शुद्वा भूमि के चारो तरफ प्रार्थीया ने तारो की बाड लगा रखी है जिसमे प्रार्थीया का घूडा, सरसों के पासे, कृषि के औजार ,इंजन वगे. रखे हुए है। उक्त भूमि पर विपक्षी का कभी कब्जा नही रहा है ओर ना ही आज कब्जा है। ग्राम पंचायत द्वारा पटटा जारी करने से पूर्व विवादित भूखण्ड का मौका नही दिखवाया गया है तथा उक्त पटटे से संबंधित मिसल भी ग्राम पंचायत मे उपलब्ध नही है। यह तर्क भी दिया कि पटटा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत की कोरम द्वारा कोई प्रस्ताव नही लिया है तथा दीनदयाल उपाध्याय योजना मे केवल भूमिहीन को ही निःशुल्क पटटा जारी किया जा सकता है जबकि यहॉ अप्रार्थी के खाते में पहले से 8 बीघा से अधिक कृषि भूमि है इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा जारी उक्त पटटा विधिक प्रक्रिया के तहत नही बनाया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी खारिज किये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया।

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

.....(1).....

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है क्योकि जिस भूखण्ड का पटटा मुझ अप्रार्थी को किया गया है उस भूखण्ड पर प्रार्थीया का कभी कब्जा नही रहा है बल्कि मेरा काफी वर्षो से उक्त भूखण्ड पर कब्जा चला आ रहा है तथा आज भी मेरा ही कब्जा है। उक्त भूखण्ड मे मेरे द्वारा कांटो की बाड कृषि के सामान व घूडा व जानवरो का चारा रखा हुआ है। पटटा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा विवादित भूखण्ड की जॉच कर मुझ अप्रार्थी का कब्जा होने पर ही मुझे पटटा दिया गया है। तथा पटटे संबंधित सम्पूर्ण रिकार्ड ग्राम पंचायत मे उपलब्ध है इसलिए मुझ अप्रार्थीया के पक्ष मे उक्त पटटा विधिवत सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पादित करते हुए जारी किया गया है तथा प्रार्थीया का पटटा उप पंजीयक कार्यालय मे पंजीकृत हो चुका है इसलिए निगरानीकर्ता को उक्त पटटा निरस्त करवाने की कार्यवाही सक्षम न्यायालय मे करनी चाहिए। उक्त पटटे को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार श्रीमान के न्यायालय को प्राप्त नही है। इसलिए प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया ।

विद्वान वकील उभय पक्षों द्वारा दौराने बहस किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रथमः तो अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे जारी किये गये उक्त पटटे की पत्रावली ग्राम पंचायत बाडोलास मे उपलब्ध नही है जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत बाडोलास के पत्रांक 52 दिनांक 19.2.2021 से हो जाती है तथा पटटा मिसल के अभाव में उक्त पटटा जारी करने से पूर्व आपत्ति नोटिस, कब्जे की जॉच, पंचायत कौरम के प्रस्ताव इत्यादि महत्वपूर्ण कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा सम्पादित की गयी हो प्रतीत नही होता है। तथा अवैधानिक रूप से जारी किये गये पटटे को पंजीकृत हो जाने के उपरान्त भी खारिज किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत बाडोलास द्वारा अप्रार्थीया के पक्ष मे जारी उक्त पटटा विधिसम्मत होने की श्रेणी मे नही माना जा सकता है।

उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी खारिज किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत बाडोलास को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि विवादित भूखण्ड का विधिवत मौका दिखवाया जाकर, आपत्ति नोटिस जारी किया जाकर उभय पक्षों को साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत करने एवं सुनवायी का समुचित अवसर दिया जाकर, नियमानुसार डीएलसी दर से पटटा फीस वसूल की जाकर गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर